

डिक्की बमूकदमें इबादाई
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-राजोद
मु0न0 99/2018

गण-

1. रामपाल पुत्र जवाराराम
2. हरदीनराम पुत्र मनरूपाराम
3. हड़मानराम पुत्र जोराराम
4. बिड़दाराम
5. निम्बाराम पुत्रगण लिछमणराम
6. मेवाराम पुत्र पुसाराम
7. जयनारायण
8. मोतीराम पुत्रगण अर्जनराम
9. भंवरलाल पुत्र धुलाराम जातियान जाट निवासीगण कुवाड़खेड़ा तहसील जायल जिला नागौर।

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्वाय आपके द्वार-2018

दीगण-

1. भंवरी देवी पुत्री जवाराराम
2. धाई देवी पुत्री मनरूपाराम
3. गोपी
4. हड़मानी
5. रामी पुत्रिया जोराराम
6. बाउड़ी देवी पत्नी जोराराम
7. गीता देवी पत्नी धुलाराम
8. सुप्यारी पत्नी धुलाराम
9. टीकुराम पुत्र बिरमाराम
10. बाली पत्नी हिराराम
11. कैलाश पुत्र हिराराम जातियान जाट निवासीगण कुवाड़खेड़ा तहसील जायल नागौर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल




वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-29.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे
हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 रामपाल के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 4 बीघा नजरीनकशानुसार व वादी रामपाल व प्रतिवादी भंवरी संख्या 1 भवरी के सामलाती हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 0.13 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
2. वादी संख्या 2 हरदीनराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 4 बीघा नजरीनकशानुसार व वादी हरदीनराम व प्रतिवादी संख्या 2 धाई देवी के सामलाती हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 0.13 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
3. वादी संख्या 3 हड़मानराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 4 बीघा नजरीनकशानुसार व वादी हड़मानराम व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के सामलाती हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 134/118 रकबा 13.18 बीघा में से 0.12 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।


बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)


उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

4. वादी बिड़दाराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 121 रकबा 25.17 बीघा में से 12.18 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी निम्बाराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 121 रकबा 25.17 बीघा में से 12.19 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. वादी मेवाराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 104 रकबा 34.18 बीघा में से 17.09 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
7. वादी जयनारायण के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 104 रकबा 34.18 बीघा में से 7.14 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
8. वादी मोतीराम के हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 104 रकबा 34.18 बीघा में से 7.15 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
9. वादी भंवरलाल व प्रतिवादी 7 से 11 गीता, सुप्यारी, टीकुराम, बाली, कैलाश के सामलाती हक बंट में मौजा कुवाड़खेड़ा का खेत ख नं 104 रकबा 34.18 बीघा में से 2.00 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख, तारीख वसूल योग्य तक x को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.05.2018 को जारी किया गया।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुतयिली	मुतयिली
स्टाम्प अजी दावा			राजस्व लोक अदालत	राजस्व लोक अदालत
स्टाम्प वकालतनामा			जायल (नागौर)	जायल (नागौर)
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन	खर्चा गवाहन
खर्चा गवाहन			फीस कमीन्तर	फीस कमीन्तर
फीस कमीन्तर			बाबत इजराय हुक्मीजान	बाबत इजराय हुक्मीजान
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिफ	मुतफरिफ
मुतफरिफ				

नोट :- इस खर्च के काम पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को करे जिसे कि खर्च किनाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- राजोद

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/482

तहसीलदार जायल को डिक्री आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर